

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223990
SG-DL-E-29122020-223990

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 237
No. 281]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 237

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

फा. सं. 44(292)/2017/डीएसडब्ल्यू/स्था0/आरआर(एमटीएस)/1329.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जीएसआर 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(i) इन नियमों को 'मल्टी टास्किंग स्टाफ' भर्ती नियमावली, 2020 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि.—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करना है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव.**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)
2.	पदों की संख्या	:	133* (2020) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर-1, (18000-56900/रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18 और 25 वर्ष के बीच टीप: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, लाहौल व स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारण की अन्तिम तिथि तो रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने की तिथि अन्तिम तिथि होगी। (टीप:- यदि भर्ती डीएसएसएबी या इसी तरह की भर्ती एजेंसी के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष निर्धारित की जा सकती है अन्यथा उसे 18-25 वर्ष रखा जा सकता है।

7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दसवीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	स्थायीकरण के विचारार्थ 'ग' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्र0सु0) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप सचिव (सा0प्र0वि0) — सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति की उपरोक्त संरचना के अनुसार वरिष्ठतम अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सरोज रावत, उप-निदेशक (प्रशासन)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2020

F. No. 44(292)/2017/DSW/Estt./RRs(MTS)/1329.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Multi Tasking Staff (MTS) in the Department of Social Welfare, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the “Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2020”,

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff (MTS).	133* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Matrix Level -1 (Rs. 18000-56900).	Not Applicable.	Between 18 and 25 Years Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names. (Note:-If recruitment is made through DSSSB or any other similar recruitment agencies in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years).	Matriculation or its equivalent passed from Recognized Board/University.

Whether age & educational qualifications for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Composition of Group 'C' Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation) 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) -- Chairperson 2. Head of the Department concerned — Member 3. Deputy Secretary (GAD) -- Member. The senior-most officer, will however, chair the meeting as per the above composition of DPC/DCC.	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SAROJ RAWAT Dy. Director (Admn.)